विहंगावलोकन

विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में तीन अध्याय हैं। अध्याय-1 में राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकलाप हैं। अध्याय-II में तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड के कार्यचालन पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन और उच्च विभव सेवा उपभोक्ताओं के संबंध में विपत्रीकरण और राजस्व संग्रह पर लेखापरीक्षा सम्मिलित है। अध्याय-III में सरकारी कंपनियों पर छह लेनदेन लेखापरीक्षा कंडिकाएँ हैं। लेखापरीक्षा निष्कर्षों का कुल वित्तीय प्रभाव ₹ 2025.36 करोड़ है।

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकलाप

सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 एवं 143 से अधिशासित होती है। 31 मार्च 2016 तक झारखण्ड राज्य की 19 सरकारी कंपनियाँ (सभी कार्यशील) थीं। सरकारी कंपनियों के लेखों की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सीएजी) द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की जाती है। इन लेखों की पूरक लेखापरीक्षा सीएजी द्वारा भी की जाती है।

अद्यतन अंतिमीकृत लेखों के अनुसार राज्य के सा.क्षे.उ. ने ₹ 1865.69 करोड़ का आवर्त दर्ज किया तथा ₹ 164.92 करोड़ की हानि वहन की। मार्च 2016 के अंत तक इन सा.क्षे.उ. ने 5544 कर्मचारियों को नियोजित किया था।

(कंडिकाएँ 1.1 एवं 1.3)

राज्य के सा.क्षे.उ में निवेश

31 मार्च 2016 को, 19 सा.क्षे.उ. में निवेश (अंशपूँजी एवं दीर्घावधि ऋण) ₹ 2,361.43 करोड़ का था। जिसमें 61.87 प्रतिशत की कमी हुई जो 2011-12 में ₹ 6192.40 करोड़ से घटा जिसका मुख्य कारण पूर्ववर्ती झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड में निवेश को जनवरी 2014 में इसके पुनर्गठन के बाद इसके उत्तरवर्ती कंपनियों यानी झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड (जेयूवीएनएल), झारखण्ड ऊर्जा उत्पादन निगम लिमिटेड (जेयूयूएनएल), झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड (जेयूएसएनएल) और झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (जेबीवीएनएल) को स्थानांतरित नहीं किया जाना था। 31 मार्च 2016 को कुल निवेश का 94.92 प्रतिशत ऊर्जा क्षेत्र में था। निवेश पर बल मुख्यत: ऊर्जा प्रक्षेत्र में था और 2015-16 के दौरान सरकार ने सा.क्षे.उ. के अंशपूँजी, ऋण और अनुदान/ सहाय्य के लिए ₹ 829 करोड़ योगदान दिये।

(कंडिकाएँ 1.6, 1.7 और 1.8)

अद्यतन अंतिमीकृत लेखों के अनुसार सा.क्षे.उ. के निष्पादन

अद्यतन अंतिमीकृत लेखों के अनुसार 19 सा.क्षे.उ. में से छ: सा.क्षे.उ. ने ₹ 37.69 करोड़ का लाभ अर्जित किया और आठ सा.क्षे.उ. ने ₹ 202.61 करोड़ की हानि वहन की। शेष पांच सा.क्षे.उ. ने अपना पहला लेखा भी अंतिमीकृत नहीं किया है। मुख्यत: तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड (₹ 110.22 करोड़) एवं झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (₹ 70.98 करोड़) द्वारा हानि वहन की गई।

(कंडिका 1.14)

लेखों पर टिप्पणियाँ

अक्टूबर 2015 से सितंबर 2016 के दौरान नौ सरकारी कंपनियों के तेरह अंतिमीकृत लेखों में से सांविधिक लेखापरीक्षकों ने चार लेखों पर दोष-रहित प्रमाण पत्र एवं नौ लेखों पर दोषयुक्त प्रमाण पत्र दिये। नौ खातों में इकतीस उदाहरण थे जहां लेखा मानकों का अनुपालन नहीं किया गया था। सांविधिक लेखापरीक्षकों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन और सीएजी की पूरक लेखापरीक्षा दर्शाती है कि लेखों के रखरखाव में व्यापक सुधार की आवश्यकता है।

(कंडिका 1.17)

बकाया लेखे

सितम्बर 2016 तक 19 सा.क्षे.उ. के कुल 66 लेखे बकाया थे। बकाया लेखों की अवधि एक से दस वर्षों की थी। सा.क्षे.उ. को लेखों की तैयारी से संबंधित कार्य के लिए लक्ष्य निर्धारित करने के साथ-साथ बकाया लेखों के निष्पादन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

(कंडिका 1.10)

2 सरकारी कंपनियों के निष्पादन लेखापरीक्षा

2.1 तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड का कार्यकलाप

कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत नवम्बर 1987 में स्थापित तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड (कंपनी) एक ऊर्जा उत्पादक कंपनी है, जिसका मुख्य उद्देश्य तापीय शक्ति स्टेशन का निर्माण, उत्पादन एवं इसका रखरखाव एवं उत्पादित शक्ति की बिक्री लाईसेंसधारियों/व्यवसायियों तथा अन्य एजेन्सियों को करना है। कंपनी का अपना तापीय शक्ति स्टेशन 420 मेगावाट (210 मेगावाट **x** 2 इकाई) तेनुघाट तापीय शक्ति स्टेशन (टीटीपीएस) है जो बोकारो जिला के ललपनिया में अवस्थित है। कंपनी के परफॉर्मेन्स लेखापरीक्षा में इसके वित्त एवं दक्ष परिचालन को प्रभावित करने वाली बहुगुणित एवं चिरकालिक कमियों का उदभेदन हुआ है। कंपनी विवादित स्वामित्व, कमजोर प्रबंधन, वित्त की कमी, त्रुटिपूर्ण नियोजन, कमजोर आंतरिक नियंत्रण और अधिकतर स्टेकहोल्डरों के उदासीन रवैया जैसी व्याधियों से ग्रस्त है जो इस रिपोर्ट में दर्शायी गयी हैं।

कंपनी का वित्तीय स्वास्थ्य

प्रारंभ से ही खराब कार्य-प्रदर्शन की वजह से 31 मार्च 2016 तक कंपनी का संचित घाटा ₹ 824.53 करोड़ था। खराब प्रदर्शन के मुख्य कारण थे: (क) इन्सटॉल्ड क्षमता के विरूद्ध प्रोजेक्टेड आउटपुट (प्लांट लोड फैक्टर) हासिल करने में विफलता, (ख) अधिकतम उपलब्ध घंटों (प्लांट एवेलेबिलिटी फैक्टर) के विरूद्ध निम्नतर वास्तविक कार्य घंटे, (ग) शक्ति की अत्यधिक ऑक्सीलियरी खपत, (घ) कोयला एवं तेल की अत्यधिक खपत इत्यादि।

2011-12 में कंपनी ने ऊर्जा की बिक्री से ₹ 0.02 प्रति इकाई लाभ कमाया जो 2012-13 में बढ़कर ₹ 0.33 प्रति यूनिट हो गया; क्योंकि उस वर्ष विद्युत का उच्चतम उत्पादन हासिल किया गया। यद्यपि, वर्ष 2013-14 से 2015-16 के दौरान ऊर्जा की बिक्री से उसे क्रमश: ₹ 0.66, ₹ 0.07 और ₹ 0.86 प्रति यूनिट का

नुकसान उठाना पड़ा। ऐसा मुख्यत: ऋणों पर दण्डात्मक ब्याज के प्रावधानों में वृद्धि, लंबित ऊर्जा बकाया तथा मूल्यह्रास इत्यादि से संबंधित पूर्वावधिक समायोजन हेतु प्रावधानों के कारण हुआ।

(कंडिका 2.1.8.2 एवं 2.1.8.3)

वार्षिक लेखों का अंतिमीकरण

वर्ष 1994-95 से 2010-11 के लिए कंपनी के वार्षिक लेखों का अंतिमीकरण विलम्ब से 2011-12 से 2015-16 में किया गया। यद्यपि वर्ष 2011-12 से 2015-16 के वार्षिक लेखों का अंतिमीकरण दिसम्बर 2016 तक भी नहीं किया गया है। लेखों के अंतिमीकरण में विफलता का मुख्य कारण कंपनी के स्वामित्व को लेकर झारखण्ड सरकार और बिहार सरकार के बीच उठा विवाद रहा। लेखों के अंतिमीकरण में विलम्ब से कंपनी अधिनियम नियम, 1956/2013 के प्रावधानों का उल्लंघन हुआ और इससे कंपनी को किसी चूक/धोखाधड़ी का पता लगाने/रोकथाम करने में कठिनाई हुई।

(कंडिका 2.1.8.1)

वित्तीय प्रबंधन

राज्य सरकार ने उत्पादक और वितरक (जेयूवीएनएल) को एक साथ लाने के लिए एक सामान्य मंच तैयार करने और ₹ 3082.72 करोड़ की बकाया राशि से उत्पन्न भुगतान संबंधी विवाद को हल करने के लिए कोई सक्रिय कदम नहीं उठाया, जिसके परिणामस्वरूप ऋण के पुनर्भुगतान में चूक हुई तथा परिहार्य दण्डात्मक ब्याज एवं कंपनी के घाटे का संचयन हुआ। साथ ही विद्यमान अनुबंध के प्रावधानों के प्रयोग में अनावश्यक संयम के परिणामस्वरूप बिक्री राजस्व की उगाही में अत्यधिक विलंब हुआ जिसके फलस्वरूप सरकारी ऋण (₹ 665.89 करोड़) पर ब्याज के भुगतान की स्थिति दयनीय रही और बकाया ब्याज की रकम ₹ 2181.79 करोड़ तक पहुँच गयी। आगे, भारी उद्योग और सार्वजनिक उपक्रम मंत्रालय, सार्वजनिक उपक्रम विभाग, भारत सरकार के द्वारा मॉडल एम.ओ.यू जारी किया गया है जिसका क्रियान्वयन राज्य सरकार द्वारा लक्ष्य निर्धारण के माध्यम से राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों के प्रदर्शन की निगरानी करना है। हालांकि, झारखण्ड सरकार के ऊर्जा विभाग ने इस प्रकार का कोई एम.ओ.यू इस कंपनी के साथ नहीं अपनाया है। परिणामस्वरूप झारखण्ड सरकार कंपनी के परिचालन एवं वित्त संबंधी लक्ष्यों का निर्धारण एवं उसके प्रदर्शन की निगरानी नहीं कर सकी जिससे कि उसकी वित्तीय स्थिति एवं लाभप्रदता को सुधारा जा सके।

उपलब्ध अवसरों के बावजूद कपंनी अपनी बिक्री का विस्तार (50 मेगावाट) दूसरों तक करने के अवसर का उपयोग करने में भी असफल रही।

(कंडिका 2.1.7.2, 2.1.8.2, 2.1.8.6 एवं 2.1.8.7)

प्लांट लोड फैक्टर

झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग (जेएसईआरसी) द्वारा निर्धारित 85 प्रतिशत लक्ष्य के विरूद्ध वर्ष 2011-12 से 2015-16 के मध्य की अवधि में कंपनी का प्लांट लोड फैक्टर (पीएलएफ) मात्र 61.32 प्रतिशत और 79.42 प्रतिशत के बीच रहा। परिणामस्वरूप वर्ष 2011-12 से 2015-16 के दौरान ₹ 870.78 करोड़ मूल्य

की 2809.48 एम.यू बिजली उत्पादन का नुकसान हुआ। ऊर्जा निकासी प्रणाली में अवरोध की वजह से संयंत्र की बंदी, गतकालिक मशीन, निवारक एवं नियमित अनुरक्षण का अभाव और संयंत्र में निम्न कोटि के कोयले का प्रयोग निम्न पीएलएफ के कारण थे।

निम्न पीएलएफ की वजह से कंपनी को वित्तीय नुकसान भी उठाना पड़ा; क्योंकि टैरिफ की गणना प्रतिवर्ष अभिकलित वास्तविक पीएलएफ की जगह 85 प्रतिशत पीएलएफ को ध्यान में रखते हुए की जाती थी। इस तरह 85 प्रतिशत पीएलएफ की जगह 71.46 प्रतिशत वास्तविक पीएएलएफ के आधार पर गणना किये गये टैरिफ मूल्य की तुलना में कंपनी को वर्ष 2015-16 में उत्पादित 2328.28 एमयू ऊर्जा पर ₹ 0.446 प्रति इकाई का वित्तीय नुकसान उठाना पड़ा।

2015-16 में वास्तविक नुकसान और भी ज्यादा होकर 0.86 प्रति इकाई तक पहुँच गया। यह भी देखा गया कि कंपनी जेएसईआरसी को इस बात की जानकारी देने में असफल रही कि 85 प्रतिशत पीएलएफ कहीं ऊँची है और वह उसे हासिल करने में कभी भी सक्षम नहीं हुई है। वर्ष 2011-12 से लेखे के अंतिमीकरण में विफल रहने का तात्पर्य यह था कि टैरिफ का निर्धारण करते समय जेएसईआरसी द्वारा डेब्ट सर्विसिंग की उच्चतर लागत (ऋण पर उच्चतर दंडात्मक ब्याज) एवं पूर्वावधिक समायोजन आदि पर विचार नहीं किया गया।

(कंडिका 2.1.9.1)

सहायक ऊर्जा खपत (एपीसी)

मशीनों के पुराना होने, मशीनों का ससमय ओवरहॉल करने में विफलता और संचरण लाइनों के बार-बार ट्रिप करने की वजह से वर्ष 2011-12 से 2015-16 की अवधि में कंपनी ने जेएसईआरसी के मानकों से ₹ 56.79 करोड़ मूल्य की 173.80 एमयू अधिक सहायक ऊर्जा की खपत की।

कंपनी ने दावा किया कि निधि की कमी के कारण मशीनों का ओवरहॉल नहीं किया जा सका जिसकी वजह से एपीसी अधिक थी। हालांकि, यह देखा गया कि 2011-16 के दौरान कंपनी ने ₹ 275.26 करोड़ से ₹ 392.41 करोड़ तक की रकम अल्पावधि जमा के रूप में रख छोड़ी थी जिसका उपयोग, शायद, उस काम के लिए किया जा सकता था। साथ ही वर्ष 2011-12 से 2013-14 की अवधि के लिए कुल राजस्व की वास्तविक आवश्यकता का अनुमोदन (ट्रु अप) करते समय जेएसईआरसी ने उच्चतर सहायक ऊर्जा खपत (एपीसी) का अनुमोदन नहीं किया था; क्योंकि वह 2010 के उत्पादन दर विनियम के अनुसार एक नियंत्रित किये जाने योग्य मापदण्ड था। आगे के वर्षों हेतु उक्त आवश्यकता को अभी भी जेएसईआरसी द्वारा अनुमोदन (ट्रु अप) किया जाना है।

(कंडिका 2.1.9.3)

मरम्मत, अनुरक्षण और पूँजीगत ओवरहॉल

संयंत्र की इकाई एक का पूँजीगत ओवरहॉल उसकी नियत तिथि से 49 माह के विलम्ब के बाद हाथ में लिया गया जबकि 28 महीनों के विलम्ब के बावजूद भी इकाई 2 का ओवरहॉल अभी भी किया जाना है। इसकी वजह से उत्पादन इकाइयों के बॉयलर एवं रोटर का परिचालन बार-बार ठप्प हुआ और परिणामत: संयंत्र का

परिचालन बंद करना पड़ा। 2011-12 से 2015-16 की अवधि में प्लांट का शटडाउन जेएसईआरसी के मानकों से 7095 घंटे अधिक हुआ जिस कारण ₹ 409.10 करोड़ मूल्य के 1490 एमयू ऊर्जा उत्पादन का घाटा हुआ। इसे प्लांट एवं उपस्करों की समय पर मरम्मत और रखरखाव तथा पूँजीगत ओवरहॉल के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता था।

(कंडिका 2.1.9.2 एवं 2.1.9.4)

क्षमता विस्तार

झारखण्ड सरकार/कंपनी के त्रुटिपूर्ण नियोजन एवं अनिर्णय की वजह से ₹ 359 करोड़ के निवेश के बावजूद टीटीपीएस का परिकल्पित क्षमता-विस्तार उसको चालू किये जाने के 19 वर्षों के बाद भी हाथ में नहीं लिया जा सका है।

(कंडिका 2.1.13.1)

मेरी-गो-राउंड रेल पद्धति और अन्य परियोजनाएँ

अक्टूबर 2015 में 24 वर्षों के विलम्ब के बाद ₹ 51.34 करोड़ की अतिरिक्त लागत से कंपनी ने कोयला ढोने लिए मेरी-गो-राउन्ड (एमजीआर) रेल पद्धति चालू की थी। विलम्ब के कारण विलम्ब से जमीन का आहरण, निधि की कमी इत्यादि थे। इस अवधि के दौरान प्लांट के लिए आवश्यक कोयला सड़क मार्ग से ढोया गया। यद्यपि एमजीआर रेल पद्धति अक्टूबर 2015 में चालू हुई थी, तथापि वैगन की कमी के कारण आंशिक रूप से कोयले की ढुलाई अभी भी सड़क मार्ग से ही की जाती है। यद्यपि कंपनी ने 1998 में 34 वेगनों के लिए ₹ 2.88 करोड़ का अग्रिम भुगतान किया था, तथापि वह आज तक एक भी वैगन की सुपुर्दगी प्राप्त नहीं कर सकी है।

(कंडिका 2.1.13.3 एवं 2.1.13.4)

पावर प्लांट के स्वीचयार्ड का उन्नयन

वर्ष 1997 में प्लांट को खड़ा करते समय संवेदक-मेसर्स भारत हेवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड ने स्वीचयार्ड के उन्नयन कार्य को अधूरा छोड़ दिया था। कंपनी द्वारा (जुलाई 2010) जब इसे पुन: शुरू किया गया, उसके बाद भी 52 महीनों का और विलम्ब हुआ एवं दिसम्बर 2016 तक भी अधूरा रहा। परिणामत: ऊर्जा निकासी संबंधी बाधाओं की वजह से उत्पादन ईकाईयों को बैक डाउन करना पड़ा और कंपनी को 2011-12 से 2015-16 के दौरान 971 एमयू शक्ति उत्पादन तथा ₹ 267.51 करोड़ के राजस्व का घाटा सहना पड़ा। हालांकि जेएसईआारसी ने (सितंबर 2016) कंपनी को मार्च 2017 से पहले उन्नयन कार्य पूर्ण करने का निर्देश दिया है।

(कंडिका 2.1.10.1)

कोयले की खरीद और कोयले की गुणवत्ता

कोयले की कमी और खराब गुणवत्ता, जैसे ग्रेड स्लीपेज, नमी का उच्चतर प्रतिशत और सीसीएल द्वारा आपूर्ति किये गये अधिक बड़े आकार के पत्थर के कारण 2011-12 से 2015-16 के दौरान शक्ति प्लांट को ₹ 50.24 करोड़ मूल्य के 326 एमयू उत्पादन का घाटा उठाना पड़ा। यद्यपि कंपनी सेन्ट्रल कोलफिल्डस लिमिटेड (सीसीएल) से ₹ 49.62 करोड़ के दावे की वसूली नहीं कर सकी; क्योंकि वह गुणवत्ता की जाँच हेतु कोयले का संयुक्त सैंपलिंग कराने में असफल रही। सीसीएल

ने भी इस बात की पुष्टि की कि अनेक मामलों में कंपनी ने लोडिंग पॉइन्टों पर संयुक्त नमूनाकरण में भाग नहीं लिया। कंपनी ने बताया (नवम्बर 2016) कि सेन्ट्रल इंस्टीच्यूट ऑफ माइनिंग एण्ड फ्यूल रिसर्च को लोडिंग एवं अनलोडिंग पॉइन्टों पर नमूनाकरण हेतु प्राधिकृत किया गया है।

(कंडिका 2.1.12.1 एवं 2.1.12.2)

अपने टैरिफ पेटिशनों में वायु, वर्षा एवं नमी के वाष्पीकरण की वजह से हुए 43,857 एमटी कोयलों की क्षति का दावा करने में विफल रहने के कारण कंपनी को वर्ष 2011-12 से 2015-16 की अवधि में ₹ 8.14 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा।

(कंडिका 2.1.12.5)

2011-12 से 2015-16 के दौरान प्लांट डिजाइन नॉर्म दो प्रतिशत के विरूद्ध तल राख में 9.96 प्रतिशत से 12.66 प्रतिशत के बीच बिन जला कार्बन था। उस अवधि में प्लांट डिजाइन नॉर्म 0.5 प्रतिशत के विरूद्ध फ्लाई राख में बिन जला कार्बन 4.87 प्रतिशत से 5.53 प्रतिशत के बीच था। इस कारण 1,68,545 एमटी कोयले की अधिक खपत हुई जिससे उत्पादन की लागत ₹ 35.10 करोड़ बढ़ गई। इसके अलावे, 2011-12 से 2015-16 के दौरान जेएसईआरसी के नॉर्म से ₹ 38.57 करोड़ मूल्य के 7329 किलो लीटर अधिक लाइट डीजन ऑयल की खपत हुई।

(कंडिका 2.1.11.1 एवं 2.1.11.2)

निगरानी और आंतरिक नियंत्रण

झारखण्ड सरकार के ऊर्जा विभाग ने कपंनी के साथ कोई मेमोरैंडम ऑफ अण्डर्स्टैंडिंग (एमओयू) हस्ताक्षरित नहीं किया है। जिसके परिणामस्वरूप ऊर्जा विभाग कंपनी की वित्तीय स्थिति और लाभप्रदता को उन्नत करने तथा इसके कार्य की निगरानी करने हेतु कार्यकारी एवं वित्तीय लक्ष्य निश्चित नहीं कर सका।

निदेशक मंडल द्वारा कंपनी की गतिविधियों की प्रभावकारी निगरानी (मॉनिटरिंग) नहीं की गयी; क्योंकि उसकी नियमित बैठकें नहीं हुईं। साथ ही बोर्ड के कामकाज को सशक्त बनाने के लिए दो कार्यकारी निदेशकों की प्रस्तावित नियुक्ति एवं स्वतंत्र निदेशकों की प्रविष्टि को मूर्त रूप नहीं दिया गया।

(कंडिका 2.1.7.2 एवं 2.1.15.3)

मानव संसाधन प्रबंधन

कंपनी का मानव संसाधन प्रबंधन त्रुटिपूर्ण रहा है। 510 तकनीकी मैनपावर के स्वीकृत कार्य-बल की जगह केवल 258 कार्यबल था अर्थात् 252 कर्मचारियों की कमी थी जो कंपनी के कार्य प्रदर्शन को कुप्रभावित कर सकती है।

(कंडिका 2.1.12.7)

इस प्रकार कंपनी के वित्त को सशक्त बनाने और इसके ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि करने में सरकार/प्रबंधन की असफलता के कारण राज्य में शक्ति आपूर्ति दयनीय रही। यह राज्य के समस्त व्यावसायिक वातावरण को कुप्रभावित कर सकता है। परिणामस्वरूप जून, 2016 को समाप्त हुई अवधि के लिए विश्व बैंक के रिपोर्ट में इस राज्य को प्राप्त 'इज ऑफ डुइंग बिजनेस' संबंधी सातवाँ रैंक संकट में पड़ सकता है।

2.2 उच्च विभव सेवाओं के उपभोक्ताओं के संबंध में विपत्रीकरण और राजस्व संग्रहण पर लेखापरीक्षा

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के उच्च विभव सेवा (एचटीएस) उपभोक्ताओं के संबंध में विपत्रीकरण और राजस्व संग्रहण पर लेखापरीक्षा एचटीएस एवं उच्च विभव विशेष सेवा (एचटीएसएस) उपभोक्ताओं के मामले में विपत्रीकरण और राजस्व संग्रहण में कमियों पर प्रकाश डालती हैं।

2011-12 से 2015-16 के दौरान झारखंड में एचटी उपभोक्ताओं को बिक्रित बिजली, कुल बिक्रित बिजली का 30 प्रतिशत एवं 38 प्रतिशत के बीच तथा एचटी उपभोक्ताओं को निर्गत राजस्व विपत्र, कुल निर्गत राजस्व विपत्र के 36 प्रतिशत और 55 प्रतिशत के बीच था। झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग (जेएसईआरसी) ने एचटीएस उपभोक्ताओं, जिनकी अनुबंधित मांग 100 किलोभोल्ट एम्पियर (केवीए) या इससे अधिक थी तथा 300 केवीए या अधिक अनुबंधित मांग वाले विद्युत इंडक्शन फर्नेस वाले एचटीएसएस उपभोक्ताओं के लिए अलग से प्रशुल्क (टैरिफ) निर्धारित किया जो जनवरी 2004 से प्रभावी था।

महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों का विवरण निम्नांकित हैं:

- चार एचटीएसएस उपभोक्ता विद्युत भार का उपयोग इण्डक्सन फर्नेस के अलावे अन्य कार्यों के लिए कर रहे थे; किन्तु कंपनी ने जेएसईआरसी (विद्युत आपूर्ति संहिता) विनियम, 2005 के अनुरूप भार को एसटीएसएस और एचटीएस टैरिफ में पृथक नहीं किया और ₹ 9.90 करोड़ की हानि वहन की;

(**कंडिका 2.2.2.1**)

- कंपनी पाँच मामलों में जेएसईआरसी आपूर्ति संहिता में विहित 153 दिनों के अन्दर नया विद्युत संबंध/भार वृद्धि प्रदान करने में विफल रही जिसके परिणामस्वरूप ₹ 5.43 करोड़ के राजस्व की हानि हुई;

(**कंडिका 2.2.3.2**)

- 2011-12 से 2015-16 की अवधि के दौरान 61 एचटीएस उपभोक्ताओं की वास्तविक मांग लगातार तीन महीने तक अनुबंधित मांग से अधिक रही, तथापि कंपनी जेएसईआरसी टैरिफ आदेशों के अनुसार अनुबंधित मांग की वृद्धि करने में असफल रही जिसके कारण ₹ 3.42 करोड़ के राजस्व की हानि हुई;

(**कंडिका 2.2.4.1**)

- जेएसईआरसी आपूर्ति संहिता के अनुसार, कंपनी वास्तविक विपत्र के आधार पर 62 एचटीएस/एचटीएसएस उपभोक्ताओं से अतिरिक्त प्रतिभूति राशि के रूप में ₹ 54.03 करोड़ वसूल करने में असफल रही; एवं

(**कंडिका 2.2.4.2**)

• सात अंचलों की नमूना जाँच में पाया गया कि 31 मार्च 2016 को 468 विद्यमान उपभोक्ताओं के विरूद्ध ₹ 450 करोड़ सहित 873 एचटीएस/एचटीएसएस उपभोक्ताओं के विरूद्ध ₹ 1487.11 करोड़ की राशि बकाया थी।

(कंडिका 2.2.4.9)

3. लेन-देन लेखापरीक्षा अवलोकन

प्रतिवेदन में शामिल किये गये लेन-देन लेखापरीक्षा अवलोकन, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में प्रबंधन की कमियों, जिनके परिणामस्वरूप गंभीर वित्तीय अनियमितताएं हुईं, को मुख्य रूप से दर्शाती है। इंगित की गई अनियमितताएँ मुख्यत: निम्न प्रकार की हैं:

• वैधानिक दायित्वों का निर्वहण न करने के कारण तीन मामलों में ₹ 18.53 करोड़ की हानि।

(कंडिकाएँ 3.2, 3.5 एवं 3.6)

• त्रुटिपूर्ण/दोषपूर्ण योजना के कारण दो मामले में ₹ 31.75 करोड़ का परिहार्य एवं व्यर्थ व्यय।

(कंडिकाएँ 3.1 एवं 3.4)

• अपर्याप्त/त्रुटिपूर्ण अनुश्रवण के कारण एक मामले में ₹ 4.95 करोड़ की अतिरिक्त लागत हुई।

(कंडिका 3.3)

लेन-देन लेखापरीक्षा कंडिकाओं के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अवलोकनों का सारांश निम्नप्रकार है:

• झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने समर्पित संचरण प्रणाली की अनुपस्थिति में संचरण प्रभार पर ₹ 31.19 करोड़ का परिहार्य व्यय किया।

(कंडिका 3.1)

• झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ठेकेदारों के चालू विपत्रों से आयकर और कार्य अनुबंध कर की कटौती करने मे विफल रहा और अपनी निधि से उस राशि को जमा किया जिसके कारण ₹ 15.31 करोड़ की हानि हुई।

(कंडिका 3.2)

• झारखण्ड पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड ठेकेदार द्वारा दी गयी बैंक गारंटी की प्रामाणिकता के सत्यापन में विफलता के कारण शेष बचे हुए कार्य को निष्पादित कराने में किए गये ₹ 4.95 करोड़ के अतिरिक्त व्यय को संबंधित ठेकेदार से वसूल करने में विफल रही।

(कंडिका 3.3)

• झारखण्ड ऊर्जा उत्पादन निगम लिमिटेड ने खरीदी हुई सामग्री का क्रय के पूर्व निरीक्षण करने और दोषपूर्ण सामग्री को बदलवाने में विफल रहने के कारण ₹ 38.24

लाख का निष्फल व्यय किया। कंपनी ने नामंकन के आधार पर सामग्री की अगली खरीद पर भी ₹ 17.94 लाख का अतिरिक्त व्यय किया।

(कंडिका 3.4)

- झारखण्ड उर्जा विकास निगम लिमिटेड ने कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के प्रावधानों के अनुपालन में विफल रहते हुए ₹ 1.27 करोड़ का व्यर्थ व्यय किया।

(कंडिका 3.5)

- झारखण्ड राज्य बेवरेज निगम लिमिटेड द्वारा अग्रिम आयकर का भुगतान करने में विफलता के कारण ₹ 1.95 करोड़ के ब्याज का परिहार्य भुगतान किया गया।

(कंडिका 3.6)